

**AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA**

(A Miniratna - Category -1 Public Sector Enterprise)

भाविप्रा/सीएनएस-ओएम/आरटीआई एक्ट-2005/सीपीआईओ/2026/ 116

दिनांक : 05/05/2026

सेवा में,
श्री राजेश मोदी
11, कैलाशनगर सोसाइटी,
जोगनीनगर जैन ते के निकट,
प्राईम आर्केड के निकट, आनंद महल रोड,
सुरत पिन : 395009

To,
Shri Rajesh Modi
11, Kailashnagar Society,
Near Joganinagar Jain Te,
Near Prime Arcade, Anand Mahal Road
Surat Pin : 395009

विषय: RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु अनुरोध
Sub: Request for Information under RTI Act, 2005

महोदया/ महोदय Madam/Sir,
कृपया दिनांक 05/04/2026 के आपके आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें, जिसे सीपीआईओ/महाप्रबंधक (एटीएम-डीओएस) द्वारा पत्र संख्या AAI/ATM/NOC/RTI/07/2026-27/02 दिनांक 21/04/2026 के माध्यम से अग्रेषित किया गया था और जो इस कार्यालय में 28/04/2026 को प्राप्त हुआ था। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, अनुक्रमांक 5 के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाती है: -

Reference may please be made to your RTI application dated 05/04/2026 forwarded by CPIO/ GM(ATM-DoAS) vide Letter No. AAI/ATM/NOC/RTI/07/2026-27/02 dated 21/04/2026, received in this office on 28/04/2026. In this regard, it is hereby intimated that as per available record, following information is provided with respect to Sl. No. 5: -

Sl. No.	Query	Response
5.	Terms of reference (TOR)	No specific TOR was documented. However, the purpose is to lay down the policies and procedures to carry out the operational impact analysis of the structures/ buildings around the HF Tx station on the performance of HF Tx.

यदि आवेदक उपरोक्त जवाब से संतुष्ट न हो तो वे इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा-19(1) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, श्री एस. के. मलिक, कार्यपालक निदेशक, (सी.एन.एस.- ओ.एम.), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली-110003 को अपनी अपील भेज सकते हैं।

If the applicant is not satisfied with the above reply, he/ she has an option to prefer an appeal against the information provided within 30 days to First Appellate Authority Sh. S.K. Mallick, Executive Director (CNS-O&M), Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi-110003 under section-19(1) of RTI act 2005.

भवदीय

(अनिल कुमार एस/ Anil Kumar S)
सीपीआईओ/ महाप्रबंधक (सीएनएस)
CPIO/ GM(CNS)

प्रतिलिपि / Copy to :

सीपीआईओ/महाप्रबंधक (एटीएम- डीओएस), निगमित मुख्यालय को सूचनार्थ
CPIO/GM(ATM-DoAS), CHQ for information